न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट चूरू

पीठासीन अधिकारी : अर्पिता सोनी (आर.ए.एस)

इस्तगासा संख्या 2024 / 108 दायर दिनांक 30.12.2024

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरु जिला चूरु (राजस्थान) —सायल—

बनाम

प्रतापसिंह पुत्र बिरूराम जाति धाणक उम्र 62 साल निवासी कस्बा सिद्धमुख जिला चूरू। —गैरसायल—

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975

उपस्थित :—

1. **अभियोजन अधिकारी (पैरोकार राज.) वास्ते सायल।**
2. **श्री राजेन्द्र राजपुरोहित एड. गैरसायल।**

निर्णय **दिनांक : 03.06.2025**

यह इस्तगासा पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय में दर्ज ऑनलाईन किया गया। इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है गैरसायल प्रतापसिंह पुत्र बिरूराम जाति धाणक उम्र 62 साल निवासी कस्बा सिद्धमुख जिला चूरू का रहने वाला है जो अवैध सट्टे की खाईवाली करने आदी है एवं आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, जो सार्वजनिक स्थान पर सरेआम सट्टा की खाईवाली कर गरीब तबके के लोगों को लालच देकर आम जनता का आर्थिक शोषण करता है। जिससे समाज में लगातार अनेक अपराधों को बढ़ावा मिल रहा है। इसकी आपराधिक गतिविधियां काफी गम्भीर हैं, मगर पुलिस की नजरों से बचने का प्रयास करता रहता है, जिस कारण कइ बार पकड़ में नहीं आता है। ऐसी परिस्थितियों में कानून व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। गैरसायल की बढ़ती हुई गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। गैरसायल प्रतापसिंह के विरूद्ध निम्नांकित मुकदमें दर्ज होकर सजायाब व पैण्डिगं कोर्ट चल रहे हैं।

क.स.	मुकदमा न0 एवं दिनांक	जुर्म धारा	नाम थाना	चालान दिनांक	फैसला अदालत
1.	04 / 04.01.2016	13 आरपीजीओ	सिद्धमुख	09.02.2016	सजा 09.02.2016
2	29 / 10.02.2016	13 आरपीजीओ	सिद्धमुख	07.05.2016	सजा 07.05.2016
3.	135 / 22.07.2016	13 आरपीजीओ	सिद्धमुख	22.08.2016	सजा 22.08.2016
4.	112 / 02.10.2021	13 आरपीजीओ	सिद्धमुख	07.01.2022	सजा 07.01.2022
5.	69 / 30.05.2022	13 आरपीजीओ	सिद्धमुख	25.07.2022	सजा 25.07.2022
6.	66 / 12.05.2024	9 / 11 राज. धुम्रपान प्रति. अधि.	सिद्धमुख	01.10.2024	पैण्डिगं कोर्ट
7.	108 / 29.08.2024	13 आरपीजीओ	सिद्धमुख	01.10.2024	पैण्डिगं कोर्ट

इस प्रकार से गैर सायल प्रतापसिंह की आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं एवं गरीब तबके के लोग अपनी सम्पति की सुरक्षा के बारे में आशंकित हैं। इसकी ऐसी इसकी ऐसी गतिविधियां / कार्य जिले व जिले के किसी भाग में सम्पति को संत्रास खतरा हो रहा है या होने की संभावना है, जिससे समाज के नवयुवकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक चूरु ने गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का निवेदन किया।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिल होने के उपरान्त गैरसायल ने जरिये अधिवक्ता जवाब इस्तगासा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गैरसायल के खिलाफ झूठा इस्तगासा मात्र कोटापूर्ति के लिए

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

बनाया गया है। गैरसायल अनपढ़ स्तर का ईंट ढ़ोने वाला मजदूर है जो सिद्धमुख गाँव में थाना के आस–पास मजदूरी करता है तथा थाने में सिपाही व अन्य मुल्जिमान के जब भी कहते हैं व मजदूरी देते हैं तब प्रार्थी हस्ताक्षर थाना में कर देता है तथा प्रार्थी पर अब इस्तगासा अदालतवाला में होने पर पता चला है कि थाने वालों ने कोटापूर्ति की नियत से गलत इस्तगासे 13 आरपीजीओ व अन्य छोटे अपराधों का बनाया जाकर खुद ही कोर्ट ले जाकर जुर्म स्वीकार कराया गया है जब कि प्रार्थी न तो आदतन बदमाश है ना ही किसी अपराधिक गतिविधि में लिप्त रहा है तथा प्रार्थी पर कोटापूर्ति की गर्ज से झूठे मुकदमें बनाये जाकर गलत इस्तगासा पेश किया है जो खारिज योग्य है खारिज किया जावे।

जवाब प्रस्तुत होने पर बहस सुनी गई।

दौराने बहस गैर सायल अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि गैरसायल के विरूद्ध कार्यवाही को ड्रॉप फरमाया जावे।

पैरोकार राज सहायक लोक अभियोजक चूरू ने बहस में कहा कि गैरसायल के विरूद्ध 13 आरपीजीओ के तहत 05 बार सजा से दण्डित किया जा चुका है जबकि एक बार प्रकरण दिनांक 13.08.2022 को विड्रो किया जा चुका है। गैर सायल अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की परिभाषा में आता है। गैर सायल अपराधी गतिविधियों में भाग लेता है इसलिए गैरसायल को जिले से बाहर निष्कासित किया जावें ताकि समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सके।

पैरोकार राज सहायक लोक अभियोजक चूरू की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भली–भान्ति अवलोकन किया गया। इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध 13 आरपीजीओ पुलिस थाना सिद्धमुख के तहत 05 बार दिनांक 09.02.2016, 07.05.2016, 22.08.2016, 07.01.2022 व दिनांक 25.07.2022 को सजा से दण्डित किया जा चुका है इस प्रकार राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत गैरसायल गुण्डा की परिधि में आता है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा धारा 3 राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम, 1975 विरूद्ध गैरसायल प्रतापसिंह पुत्र बिरूराम जाति धाणक उम्र 62 साल निवासी कस्बा सिद्धमुख पुलिस थाना सिद्धमुख जिला चूरू स्वीकार किया जाता है तथा गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत 15 दिवस के लिए जिले से बाहर निर्वासित किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना सिद्धमुख गैरसायल को थानाधिकारी पुलिस थाना भादरा जिला हनुमानगढ़ को सुपुर्द करेंगे जो कि थानाधिकारी पुलिस थाना भादरा जिला हनुमानगढ़ की देखरेख में 15 दिवस के लिए रहेगा एवं प्रत्येक सोमवार को थानाधिकारी पुलिस थाना भादरा जिला हनुमानगढ़ में हाजरी देने हेतु उपस्थित होगा। निर्णय की प्रति पालना हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना सिद्धमुख जिला चूरू व थानाधिकारी पुलिस थाना भादरा जिला हनुमानगढ़ तथा पुलिस अधीक्षक चूरू को भेजी जावें। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, चूरू
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू